



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/VC/15/MP/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003

Dated: 19th September, 2017

To,

1. The Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal (Madhya Pradesh)
2. The Secretary,
SC & ST Welfare Department,
Govt. of Madhya Pradesh,
Bhopal, (Madhya Pradesh)
3. The Director General of Police,
Government of Madhya Pradesh
Bhopal (Madhya Pradesh)
4. Collector,
District-Jabalpur,
(Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Bhopal (Madhya Pradesh) from 10th June, 2017 to 12th June, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts-Bhopal (Madhya Pradesh) from 10th June, 2017 to 12th June, 2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,



(S.P. Meena)

Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)
2. ✓ NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

-:: TOUR - REPORT DATED 10/06/2017 TO 12/06/2017 ::-

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संदेश संख्या TP/VC/NCST/2017/16 दिनांक 05/06/2017 के अनुसार दिनांक 10 जून 2017 से 12 जून 2017 तक जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) का प्रवास किया गया।

आयोग मुख्यालय द्वारा प्रवास की विधिवत सूचना मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा आयोग के मध्यप्रदेश स्थित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :-

दिनांक 09-10/06/2017 - Friday & Saturday

- 1) रेलमार्ग से प्रस्थान कर दिल्ली - भोपाल आगमन, निवास शासकीय विश्राम भवन भोपाल।

दिनांक 10/06/2017 - SATURDAY

- 2) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिये मध्यप्रदेश शासन, आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सुश्री दीपिका खन्ना, अन्वेषक, क्षेत्रीय कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल, श्री लखन अग्रवाल, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला भोपाल, श्री प्रकाश सिंह ठाकुर, सचिव, आदिवासी सेवा मंडल, भोपाल, श्री किशनसिंह ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, श्री रामू टेकाम, अध्यक्ष आदिवासी छात्र संगठन मध्यप्रदेश उपस्थित थे।

- 3) शासकीय कमला नेहरु कन्या छात्रावास प्रोफेसर कालोनी भोपाल एवं शासकीय सामूहिक पोष्ट मैट्रिक बालक छात्रावास श्यामला हिल्स भोपाल का निरीक्षण किया गया। छात्र छात्राओं से चर्चा की गई।



4)

(कन्या छात्रावास को निरीक्षण एवं छात्राओं से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

- 5) शासकीय कमला नेहरु कन्या छात्रावास प्रोफेसर कालोनी भोपाल, में आगंतुक कक्ष में सभी उपस्थित छात्राओं के साथ बैठकर चर्चा की गई। सर्वप्रथम छात्राओं को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के बारे में पूछा गया। ज्ञात हुआ कि किसी भी छात्रा को आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह स्थिति उपयुक्त नहीं है क्योंकि कुछ ही समय उपरांत ये छात्राएँ भारत का भविष्य होंगी और इन्हें ही आयोग की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं है तब ये छात्राएँ किस प्रकार से आयोग का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस विषय पर गहन चिंतन कर अपेक्षित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है।



6)

(कन्या छात्रावास की छात्राओं के साथ छायाचित्र एवं छात्राओं से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

- 7) अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को शोषण से बचाने एवं न्याय दिलाने के लिये लागू एट्रोसिटी एक्ट तथा भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये लागू नियम, सुविधाएँ इत्यादि की भी जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया।
- 8) छात्राओं से छात्रावास की व्यवस्थाओं सुविधा के बारे में ज्ञात किया गया। छात्रावास में पाया गया कि केवल एक कम्प्यूटर चालू हालत में है, शेष खराब या कंडम हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर की उपयुक्तता को देखते हुए सहायक आयुक्त एवं अधीक्षक को तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।
- 9) छात्रावास में पुस्तकालय की व्यवस्था भी उपयुक्त नहीं हैं किताबें बहुत कम वे भी अनुपयोगी हैं। छात्राओं ने नवीन कैरियर गाइडेंस की किताबें, दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सहायक आयुक्त एवं अधीक्षक को तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।
- 10) भोजन व्यवस्था में छात्राओं ने अवगत कराया गया कि एक ही प्रकार की सब्जी उपलब्ध कराई जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु निर्धारित किया गया कि छात्रावास में मेस कमेटी बना दी जावे ताकि स्वयं छात्राएँ उपलब्ध धनराशि एवं व्यवस्था में अपनी पसन्द के अनुसार भोजन व्यवस्था कर सकें। सहायक आयुक्त ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में मेस कमेटी निर्मित कर दी जावेगी और शासन से प्राप्त होने वाली राशि उसी कमेटी के खाते में जमा की जावेगी। यह समिति स्वयं भोजन का मीनू तैयार कर समस्त खरीदी कर व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। सभी छात्राओं द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।


 सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi



11)

(कन्या छात्रावास की छात्राओं एवं अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

12) छात्रावास का भ्रमण किया गया। भ्रमण में पाया गया कि पंखें, खराब हैं, कूलर नहीं हैं, एक वाटर फिल्टर भी खराब है, कुछ स्थानों पर बल्ब नहीं हैं, गरम पानी के लिये सोलर वाटर हीटर भी नहीं हैं, कुछ कक्षों में सीपेज पाया गया, कुछ स्थानों पर सफाई भी पर्याप्त नहीं पाई गई। इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं अधीक्षक को दिये गये।

13) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर, वाटर हीटर लगवाने के प्रस्ताव वे शीघ्र ही शासन को और स्थानीय सांसदों को सांसद निधि से स्वीकृत करने के लिये भेजे जायेंगे।

शासकीय सामूहिक पोष्ट मैट्रिक बालक छात्रावास श्यामला हिल्स भोपाल

14) शासकीय सामूहिक पोष्ट मैट्रिक बालक छात्रावास श्यामला हिल्स भोपाल के निरीक्षण में उपस्थित छात्रों से चर्चा की गई। छात्रावास में उपलब्ध संसाधन, व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की गई।

Anusuiya
 सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

15) सर्वप्रथम छात्रों को आयोग की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली के संबंध में अवगत कराया गया। यहाँ भी छात्रों को आयोग के संबंध में अधिक जानकारी नहीं थी। विस्तार से आयोग के बारे में अवगत कराया गया। छात्रों को एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में अवगत कराते हुए आयोग में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्राप्त हुई सफलताओं की जानकारी प्रदान करते हुए जागरूक किया गया।



16)

(छात्रावास में बिरसा मुण्डा जी के छायाचित्र का पूजन करते हुए)

- 17) इस छात्रावास में भी छात्रों द्वारा कम्प्यूटर की और नई पुस्तकों की कमी के संबंध में अवगत कराते हुए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया। आयुक्त द्वारा शीघ्र व्यवस्थाएँ कराने का आश्वासन दिया गया।
- 18) छात्रावास एवं परिसर में साफ सफाई व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी सुधारने के निर्देश दिये गये।
- 19) छात्रों एवं कन्या छात्रावास में छात्रों द्वारा भी अवगत कराया गया कि :- निजी महाविद्यालयों के द्वारा उन्हें प्रवेश के समय यह बताया गया था कि आपकी जो छात्रवृत्ति शासन से प्राप्त होगी उसमें ही आपका सम्पूर्ण कोर्स पूर्ण कराया जावेगा। इसी आधार पर प्रवेश दिया गया और छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश लेकर अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया, किन्तु बाद में उनसे अतिरिक्त फीस की माँग की जा रही है। फीस जमा नहीं करने पर उन्हें

परीक्षा में बैठने से मना किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें अध्ययन में परेशानी हो रही है।

20) इस संबंध में एक छात्रा कुमारी साधना धुर्वे जो कि डॉ. शंकरदयाल शर्मा स्कूल आफ नर्सिंग भोपाल में अध्ययनरत है, द्वारा की लिखित में शिकायत की गई जिसे कि पृथक से मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को भेजा गया है, किन्तु यह विदित हो कि यह सभी छात्रों की कामन शिकायत है। इस संबंध में आयोग स्तर भी मध्यप्रदेश शासन को अलग से लिखे जाने की अनुशंसा की जाती है।

21) छात्रावासों तथा आदिवासी छात्रों के हित में स्थाई रूप से आवश्यक मूल भूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये श्री राजू टेकाम अध्यक्ष आदिवासी छात्र संगठन मध्यप्रदेश द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति प्रतिवेदन के साथ **परिशिष्ट अ में** संलग्न है। इस ज्ञापन में वर्णित लगभग सभी बिन्दु आवश्यक है इनका निराकरण के लिये राज्य शासन से आयोग स्तर से भी पत्राचार किया जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक 10/06/2017 - SATURDAY (आदिवासी सेवा मंडल भोपाल का कार्यक्रम)

22) आदिवासी सेवा मंडल द्वारा भोपाल के शहीद भवन, विधायक विश्राम भवन में आयोजित आदिवासी साँस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया गया। उल्लेखित है कि यह संस्था स्वयं सेवी संस्था है एवं आदिवासियों की जागरूकता, अधिकारियों के संरक्षण, शिक्षा एवं कला, साँस्कृति के उत्थान हेतु कार्यरत है।

23) इस कार्यक्रम में जनजातीय जन प्रतिनिधि, अधिकारी कर्मचारी एवं आम नागरिकों ने भाग लिया जिसमें प्रमुख रूप से श्री योगेन्द्र सिंह जी विधायक लखनादौन, श्रीमती रजनी उड्के, आईएस भोपाल, श्री एस.एस.कुमरे, आईएस भोपाल, श्री दिनेश नरगावे, जेल अधीक्षक भोपाल, श्री संजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भौरी भोपाल, श्री संदीप भूरिया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भौरी भोपाल, डॉ दीपक एस मरावी अधीक्षक हमीदिया चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, श्री अँकार सिंह ठाकुर, अध्यक्ष आदिवासी सेवा मंडल, श्री सुशील खेस अध्यक्ष बिरसा मुण्डा आदिवासी खेल समिति, इत्यादि प्रमुख जनजातीय व्यक्तियों ने भाग लिया।



24)

(आदिवासी सेवा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित साँस्कृतिक कार्यक्रम की झलकिया)

25) इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आदिवासी साँस्कृति, कला, भाषा, से आगामी पीढ़ियों को अवगत कराना और समाज की महान साँस्कृति को जीवित रखना है। इस कार्यक्रम में गोंड, उराव, भील, कोरकू, जनजाति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती नीरा कोरे द्वारा गायन, बिरसामुण्डा खेल समिति द्वारा राईज करमा नृत्य, छेटा नागपुरी नृत्य, नयाखानी नृत्य, रानी दुर्गावती जी के जीवन चरित्र पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। श्री वीरेन्द्र कोरे द्वारा बाँसुरी वादन, श्री जे.पी.मरावी द्वारा गजल गायन प्रस्तुत किया गया।



26)

(साँस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ एवं पुरस्कार वितरण में सुश्री अनुसुईया उइके)

- 27) इस अवसर पर समाज के प्रमुख व्यक्तियों, खिलाड़ियों, मेधावी छात्र छात्राओं, कलाकारों को प्रशस्ती पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया।
- 28) मेरे द्वारा अपने उदबोधन में आदिवासी जन समुदाय को आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में जागरूक करते हुए जानकारियाँ प्रदान की गईं। साथ ही आदिवासियों को शिक्षित होने, अपनी सँस्कृति को जीवित रखने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आहवान किया। मैंने अपने उदबोधन में उपस्थित जनजाति समूह के व्यक्तियों से कहा कि वे अपनी जायज शिकायतों को सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान की मंशानुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के हितों के संरक्षण, शोषण से बचाने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग कार्य कर रहा है।



29)

उदबोधन देते हुए सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष रा.अ.सू.जन.आयोग

दिनांक 11/06/2017 - Sunday

(अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार)

- 30) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भारतीय खाद्य निगम की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार ज्ञान विज्ञान भवन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर, भोपाल में आयोजित All India Conference में भाग लिया गया।

Anusuiya

सुश्री अनुसुईया उइके / Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष / Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi



31)

(कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके वाईसचेयर परसन एनसीएसटी)

- 32) इस अवसर पर अनुसूचित जाति वर्ग के सम्पूर्ण भारत से पधारे संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि उनका यह संगठन विगत 40 वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिये कार्यरत है।
- 33) इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय के श्री विवेक दुबे, सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, श्री वेदप्रकाश, आल इंडिया प्रेसीडेन्ट, श्री कैलाश चन्द, आल इंडिया वर्किंग प्रेसीडेन्ट, श्री रघुराज सिंह, आल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, श्री जगप्रसाद, डीजीएम, एफसीआई मुख्यालय, श्री राजेन्द्र मार्तम, क्षेत्रीय सचिव, डॉ. सतीश कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री एस.एस.राठौर क्षेत्रीय सचिव, श्री पी.सी.डोलस क्षेत्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे।
- 34) चर्चा एवं विचार विमर्श तथा उपस्थित वक्ताओं के उदबोधन से प्रमुख रूप से यह समस्या ज्ञात हुई कि **भारत सरकार के डी.ओ.पी.टी. विभाग द्वारा जन-जातियों के हितों के लिये जारी निर्देशों का विभागों द्वारा पालन नहीं किया जाता है।**
- 35) इसी प्रकार से बैकलाग के पदों को भी नियमानुसार नहीं भरा जा रहा है। अनेकों विभागों में तो अभी तक रोस्टर ही संधारित नहीं किया गया है। कुछ विभागों ने यदि रोस्टर संधारित कर लिया है तो वह भी गलत किया गया है। उक्त सभी समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।
- 36) मेरे द्वारा सर्व प्रथम अपने उदबोधन में अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, से सभी को अवगत कराया गया। साथ ही आयोग की सुनवाई की प्रक्रिया तथा प्रकरणों के

उदाहरण देकर सभी को आयोग के संबंध में जागरूक किया गया। मैंने आयोग द्वारा रोस्टर संधारण, बैकलाग पदों की पूर्ति, आरक्षित वर्ग के पदों की पूर्ति के लिये किये जा रहे प्रयासों एवं कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए हुए नियमानुसार हर संभव सहयोग का आश्वासन संगठन के पदाधिकारियों को दिया गया।



37)

एफसीआई अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार



38)

दिनांक 12/06/2017 - Monday क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में सुनवाई

39) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में निर्धारित प्रकरणों में सुनवाई प्रारंभ की गई। इस सुनवाई में कलेक्टर बैतूल, आयुक्त, भोपाल के प्रतिनिधि के रूप में उपायुक्त, भोपाल कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर उपस्थित हुए। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों द्वारा भी उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका समाधान कराने का अनुरोध किया गया।

Anusuiya

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- 40) मुख्य रूप से जो प्रकरण दर्ज हुए हैं वे अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर कब्जा के प्रकरण हैं। एक प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति, एक प्रकरण में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के संबंध में था।
- 41) सभी प्रकरणों में उपस्थित अधिकारियों के साथ सुनवाई की गई। नियमानुसार उनपर कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिये गये।
- 42) मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय में स्टाफ की कमी का प्रश्न भी उपस्थित हुआ, कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों ने अपना एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसे कि आयोग के मुख्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

प्रवास के प्रमुख तथ्य एवं अनुशंसाएँ

- A. आदिवासी छात्रावासों में कम्प्यूटर, किताबें, समाचार पत्र, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, भोजन, पेयजल, भवन मरम्मत एवं संधारण की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
- B. निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के समय जो शुल्क के लिये भ्रमित किया जाता है उसे दूर किया जाना चाहिए।
- C. सभी छात्रावासों में आयोग के संबंध में उपयुक्त साहित्य के साथ आदिवासियों के लिये बनाए गए कानूनी प्रावधान एवं शासकीय योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
- D. शासकीय विभागों में डीओपीटी के नियम का पालन सुनिश्चित हो, रोस्टर विधिवित संधारित किया जावे।
- E. आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की पदोन्नति समय समय पर निर्धारित नियमों के तहत हो ताकि बैकलाग की पूर्ति हो सके।


(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रति,

आदरणीय श्री अनुसूचिता डइके
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली भारत सरकार

विषय:- आदिवासी विद्यार्थियों एवं छात्रवास महाविद्यालय
स्तर की गम्भीर समस्याओं के निराकरण के
संबंध में

महोदयाजी,

विनम्र अनुरोध यह है कि राज्य
आदिवासी पो-में एक छात्रवास प्रयास टिप्पण
ग्रोपाल निम्न समस्याओं की उचित निराकरण
करने बावत

1) छात्रावास में 24 घंटे पानी की पर्याप्त सुविधा
उपलब्ध कराई जाये शासन विभाग को जानकारी
जानकारी देने के बाद भी उचित कार्यवाही नहीं
की गई।

2) छात्रावास परिसर में छात्रों के लिये पुस्तकालय
जिसे सुविधा उपलब्ध नहीं है अतः पुस्तकालय की
विभाग द्वारा व्यवस्था कि जाये जिसमें सभी
पाठ्यक्रम व सामान्य ज्ञान साहित्य आदि की
पुस्तकें उपलब्ध हो।

3) उपरोक्त खेद सामग्री उपलब्ध कराई जाये
पिछले 3 वर्षों से खेद सामग्री नहीं
मिली है।

4] आदिवासी वी० में छात्रावासों के रख रखाव के लिये आकस्मिक निधि की सहायता का आवंटन पिछले 3 वर्षों से आदिवासी विकास विभाग छजर नहीं दे रहा है जिससे छोटी-मोटी समस्याएँ बनी रहती हैं।

5] छात्रावास में कंप्यूटर इंटरनेट की व्यवस्था ठीक जगह फालो कॉपी आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाने लखे शासन के नियम है परंतु यह उपलब्ध नहीं है।

6] आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास में राशी 10 माह के लिये दी जा रही है परंतु शिक्षण सत्र 12 महीने चलता है इसलिये में राशी का आवंटन 12 माह के लिये दिया जाये।

7] रक्षणी/रक्षणी के छात्रावासों में अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 5% आरक्षण रखा गया है इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाये आदिम जाति कल्याण विभाग में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाये।

8] जिस तरह शासन द्वारा PSC की निःशुल्क होटिंग उपलब्ध कराई गई है उसी तरह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा न्यायिक सेवा में सिविल जज एवं शूटिंग पीओ की होटिंग उपलब्ध कराई जाये।

3] शासकीय कॉलेज की तुलना में प्रायवेर कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों से शंका द्वारा मनमाना फीस वसुला जाता है। हफ्ता आदिम जाति कल्याण विभाग प्रवेश शुल्क एवं छात्रावृत्ति में सुधार किया जा कर आदिवासी वर्ग के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाये।

अतः महोदयों जी से विनम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं का 'पुणर्वि' निराकरण किया जाये एवं सभी समस्याएँ हल हो।

भवदीय
रामू टेकाम [इडकोडर]
प्रवेश अभ्यास

पदस्थ
सचिव
गया

अजजा आयोग ने जारी किया तीन कलेक्टरों को नोटिस

भोपाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने होरागाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में आदिवासियों की जमीनों से जुड़े प्रकरणों में तीनों जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किये हैं। आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनसुइया उर्फिके के समक्ष सुनवाई के दौरान उक्त मामले सामने आए थे जिनमें अधिकांश प्रकरण आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जों के थे। उक्त प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को प्रकरण की शिक्कयतें भूलतः भेजते हुए प्रभार कार्यवाही करने संबंधी नोटिस जारी किए। श्रीमती उर्फिके ने राजधानी के आदिवासी बालक और महिला छात्रावास का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने सहायक आयुक्त को छात्र-छात्राओं के लिए मनपसंद भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कृतिह भाल्ल 13/6/2017